

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

धुणीलाल शर्मा बनाम कैलाश व अन्य

वाद संख्या : 31/2025

आज्ञा विस्तृत रूप से

कं. दिनांक आज्ञा  
सं. या कार्यवाही

14/5/25 जवाब दावा प्रतिकारणीय 01 नं० 8 दिनांक  
28/5/25 को पेश की गई।  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर  
मुख्यालय-जयपुर

28/5/25 पत्रावली पेश की (अधिकारवादी) उक्त प्रकरण उपर्युक्त। जवाब दावा हेतु अधिकार प्रतिकारणीय द्वारा अर्पण करा गया है। प्रतिकारणीय अधिकारवादी द्वारा अर्पण किया गया है कि प्रकरण के प्रारंभिक उद्देश्य पूर्व से ही सामान विषय वस्तु (भूमि) उ संदर्भ में सामान अन्वेष (निष्पादन) का वाद बहनवानी गिरकारी व अन्य बनाम कर्षीर व अन्य वाद सं. 26/2025 के रूप में लम्बित है जो पूर्ववर्ती वाद है तथा अस्तित्व वाद का वादी धुणीलाल उक्त प्रकरण में भी उपस्थित है जो कि प्रतिकारी सं. 2 के रूप में अर्पण है। कर: ऐसी स्थिति में सामान भूमि उ वस्तु अर्पण प्रसकारण के अन्तर्गत सामान अन्वेष के 2 वाद उचित नहीं है। कर: पूर्ववर्ती वाद को बहाल रखा जाकर पश्चात वर्ती वाद रकौण किया जावे।

हमने उक्त प्रकरण अधिकारवादी गण को बहाल रखा, तथा पर मन्त्र किया व पत्रावली व अन्य अर्पणित पत्रावली का भी अन्वेषण किया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर  
मुख्यालय-जयपुर

धुणीलाल बनाम कैलाश व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर

मुख्यालय-जयपुर

आज्ञा 31/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

28/5/25 पत्रावली के अन्वेषण व तथ्यों के सामान विषय वस्तु हेतु स्पष्ट है कि पत्रावली जो कि निष्पक्ष रूप से है कि पत्रावली अर्पण भूमि उ संदर्भ में पूर्व से ही एक अन्य वाद सामान अन्वेष का अन्वेष प्रसकारण के रूप में लम्बित है। अर्पण अस्तित्व अस्तित्व वादी प्रसकारण है। यहाँ स्पष्ट वादी द्वारा निष्पादन के लिए वाद अर्पण करके उपर्युक्त प्रकरण में निष्पादन है तथा अर्पणित निष्पादन के संदर्भ में ही पूर्व से ही बहाल किया है। जिसे अर्पणित अर्पण के माध्यम से अस्तित्व वादी का अर्पण। एक अधिकार सुनिश्चित है। अतः तथ्यों के अन्वेषण पश्चात वाद वादोपि नहीं होने से रकौण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली प्रसकारण शर्मा वादोपि नम्बर के अन्वेषण वाद तबगील शामिल दर्शाया है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर  
मुख्यालय-जयपुर

